महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका

*डॉ. मनोज कुमार

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक महिला अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ और स्वतन्त्र होती है। तथा इस सृजन की शक्ति को विकसित – परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अवसर की समानता और धर्म की उपासना की स्वतन्त्रता की शक्ति प्रदान करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण का आशय है। राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता जनता की ऐसी भूमिका को प्रकट करती है। जिसमें वे राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन चरणों एवं पक्षों में जागरूकता से अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। इस प्रकार से राजनैतिक सहभागिता के विभिन्न आयाम है, जैसे राजनीतिक प्रश्नो के सम्बंध में जिज्ञासा, मतदान व निर्वाचन में भागीदारी, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर वार्तालाप व राजनैतिक दलों की गतिविधियों में भागीदारी आदि ।

महिला सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ महिलाओं का शक्ति सम्पन्न और साधन सपंन्न होने से होता है। शक्ति और साधन दोनों ही मानव जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। मानव जीवन की गुणवत्ता व्यक्ति के जीवन स्तर, जीवन सन्तोष, विकास व उन्नति के अवसरों का एक समग्र मूल्याकन है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है कि सदियो से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गये शोषण और भेदभाव से मुक्तिदिलाने के लिए उठाई गई महिलाओं की आवाज को हर तरीके से महत्व दिया गया है। वैदिक काल में चाहे ऋषिकाए हो चाहे 19वीं एवं 20वीं सदी की क्रान्तिकारी महिलाएँ ये नारी शक्ति के विभिन्न रूप है, परन्तु फिर भी उसे समाज में पितृसत्तात्मकता के कारण पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। भारतीय समाज की जटिलता के सन्दर्भ में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को संविधान के आने के बाद भी और अधिक व्यावहारिक बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि महिला सशक्तिकरण के मापदण्ड अधिक व्यापक हैं, किन्तु उसमें से कुछ ऐसे है, जिन पर प्राथमिक रूप से अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है,तथा प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए है। इन अधिकारों की क्रियान्विती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय भारतीय सविधान का मौलिक तत्व है और लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता इसका महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है जबकि महिलाएँ विश्व की आबादी का आधा भाग है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है। महिलाओं की विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक क्षेत्र में न्यून भूमिका प्रशासकों की महिला मुद्दो व समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता के अभाव को बताता है, जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को परिलक्षितकरता है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम कार्य में योगदान दे तो भारत की विकास दर, दहाई की संख्या में होगी फिर भी दुर्भाग्य की बात है, कि सिर्फ कुछ लोग ही महिलाओं के रोजगार की बात करते है। परन्तु उन्हें अधिकतर युवाओं के बेरोज़गार होने की ज्यादा चिन्ता रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ) के अनुसार क्रिस्टीन लगार्ड का कहना है कि से ज्यादा से ज्यादा महिलाएं

अगर अपना श्रम में योगदान करें तो भारत की जी.डी.पी.27प्रतिशत तक बढ सकती है। महिला सशक्तिकरण संसाधनों पर नियन्त्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तिकरण की सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी । इसके बाद इसने विश्व के सभी भागों में एक आन्दोलन का रूप ले लिया, जबकि विशेष रूप से समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद की स्थिति को सद्धारण प्रदान करना है।

महिला सशक्तिकरण को समझाने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस अवधारण में महिला, पुरुष को एक दुसरे का पूरक समझते हुए एक समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम इस प्रकार है।

महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण –एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने तथा अपने परिवार और सम्पूर्ण समाज को प्रकाशित करती है, तथा वह स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। एक महिला का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, और यह सिर्फ शिक्षा से ही सम्भव है। जब महिला की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक सभी दृष्टिकोणों से उच्च स्तर की होगी तभी वह परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में वह अपना योगदान दे पायेगी।

शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम व मूलभून साधन है। जिससे महिला अपने को सशक्त बनाकर समाज उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा से महिला में दक्षता, कौशल ज्ञान और क्षमताओ का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, बल्कि शिक्षा से भावी पीढी को भी लाभान्वित करती है। सन्तान की प्रथम गुरु मां यदि शिक्षित होगी तभी वह अपनी सन्तान को शिक्षा और अच्छे सस्कार देने में सक्षम होगी।

शिक्षा द्वारा ही महिला में सामाजिक विसंगतियों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। शिक्षित होकर वह अपने परिवार तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने के साथ–साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर सकती है। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को मानव जीवन से दूर करना है। इसलिए किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का विशेष तरीका यह जानने प्रयास करना कि महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनकों कौन–कौन से अधिकार प्राप्त है? महिलाओं की मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण में उसकी क्या भूमिका हैं? शिक्षा के द्वारा महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबल बन सकती है। महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओ मे छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना है, जिसकों वे अपने जीवन व्यवहार में लाकर विकास की तरफ कदम बढा सकें, यह केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा ही उसके सामाजिक जीवन स्तर को उठाती है। महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता से उनमें आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण –आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का वह आयाम है,जिससे महिलाएँ आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रयोग करने से सम्बंधित प्रक्रिया का पालन करने योग्य क्षमता का निर्माण कर सकें। महिलाओं के आर्थिक विकास से तात्पर्य महिलाओं के जीवन व्यापन के लिए जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वो आवश्यक वस्तु उन्हे मानवीय गौरव व मूल्यों को कायम रखते हुए प्राप्त हो। आज के आधुनिक युग में सभी का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता अनुरूप अर्थोपार्जन के लिए सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से परिवार में समृद्धि आती है। साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं को जैसे अपनी पसन्द के अनुसार पहनने, ओढने, खाने, पीने, घूमने फिरने को पूरा कर सकें। आर्थिक रूप से सक्षम

महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नही होती है। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने को बेहद जरूरी बताते हुए एक बार उतराखण्ड की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओ को कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाना बहुत आवश्यक है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण– महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न मूल रूप से महिलाओं के लोकतान्त्रिक एवं उनके मानवाधिकारों का प्रश्न है, जो कि आंशिक रूप से सार्वभौमिक एवं संस्कृति निष्ठ भी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से मानवाधिकार एवं महिला आदोलन लिंग भेदभाव तथा असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयमंच पर राजनीतिक मुद्दों के रूप में उठाया गया है। इसी सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अतिरिक्त 1975 में अन्तर्रान्ट्रीय महिला वर्ष एवं उस दशक के अर्न्तगत महिलाओं के लिए समानता विकास एवं शान्ति के उद्देश्यों के लिए. संकल्प लिया गया। 1979 में लैंगिक हिंसा को महिला गरिमा का हनन माना गया। वर्तमान समय में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तीकरण का परिणाम है। महिलाओ की आबादी विश्व की आबादी का 50 प्रतिशत है। लेकिन विश्व के विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 20.87 प्रतिशत है। अतः राजनीति में लैंगिक असमानता व्याप्त है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा होना जरूरी है। महिलाओं को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अन्तिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए ।महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता से तात्पर्य राजनीति के वातावरण के बारे मे ज्ञान होना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओ में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मूल्यों के बारे में चेतना विकसित होती है। महिलाओ की राजनीतिक क्षेत्र में रुचि एवं सहभागिता बढाने में भारतीय महिला संघ भारतीय महिलाओ की राष्ट्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण–मौलिक रूप से हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का स्थान ही समाज में प्रदान किया जाता रहा है। पहले महिलाओं के पास, किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक कुछ नहीं थी। उसे समाज में हर कदम पर पुरुष की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के प्रयास में अत्यधिक तेजी देखी गई है। इन्ही प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में कई गुण बढोतरी हुई है। महिला उत्थान के उदेश्यों से सरकारे भी नई–नई योजनाएं बनाने लगी है और गैर–सरकारी संगठन भी महिलाओं की आवाज बुलन्द करने लगे है।

महिलाओ के अधिकार

समान वेतन का अधिकार – समान वेतन अधिनियम 1976 आज की उदारीकृत परिस्थितियों मे महिलाओं की श्रम शक्ति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। महिलाओं के लिए रोजगार बहुत महत्व रखता है। इसमें सर्वप्रथम कौशल विकास के लिए शिक्षा एवं अन्य अवसरों का समान रूप से उपलब्ध होना। समान, पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार महिला और पुरुष को वेतन या मजदूरीमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

सम्पति का अधिकार –सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक नियम के अनुसार एक महिला 2005 से पहले अपने पिता की अन्तर्निहित सम्पत्ति में अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत 2005 नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पति पर महिला और पुरूष दोनो का बराबर का हक है।

गरिमा और शालीनता का अधिकार–भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21 को एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व से परे परिभाषित माननीय

गरिमा के जीवन को शामिल करता है। किसी मामले में अगर आारोपी एक महिला है, तो उसकी किसी प्रकार की चिकित्सा जॉच प्रक्रिया किसी महिला की उपस्थिति में ही की जा सकेगी।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार – भारत सरकार ने जन्म से पूर्व लिंग जॉच और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने और उसे दण्डित करने के लिए 1994 में गर्भाधान से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम परित किया है। वर्तमान में भारत में भ्रूण के लिंग का निधौरण करना या किसी को बताना अवैध है। लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है,कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार का अनुभव करने दे।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका –भारत सरकार द्वारा महिलासशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई है। इन योजनाओं में कई सारे रोजगार कृषि, और स्वास्थ्य से सम्बंधित है, इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। ताकि महिलाओं की भागीदारी को बढाया जा सके। इन योजनाओं में मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, महिला एवं बालकल्याण मंत्रालय द्वारा भी भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, ताकि समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर प्राप्त हो सके। जिसमें बेटी पढाओं बेटी बचाओं, महिला हेल्प लाइन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केन्द्र आदि। भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक असाधारण कदम उठाते हुए पंचायतों में महिलाअें की आरक्षित संख्या 33 प्रतिशत से 50 बढाकर प्रतिशत का निर्णय लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक ने संविधान के अनुच्छेद 243(डी) में संशोधन का निर्णय लिया। देश के पॉच राज्यों में पहले से ही पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी भारतीय महिलाओं में हो रहे उत्पीड़न को रोकने एवं उसके विकास के लिए किया गया। जिससे महिलाओ के लिए सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास हेतु योजनाओ के सुझाव की सिफारिश की जा सके। इस प्रकार महिला सशक्तिकरणवह स्तर है जब महिलाओं को निर्णय निर्माण और संसाधनो को प्राप्त करने में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। इससे महिलाओं को सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय – निर्माण की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

73 वे संविधान संशोधन में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अनुसार एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एक तिहाई पंच प्रत्येक पंचायत में, एक तिहाई सरपंच हर पंचायत समिति में, एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिले में तथा एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य में महिलाए होंगी। इस प्रकार यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं मेंमहिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर राजनीति में महिला वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

***सहायक आचार्य**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बस्सी, जयपुर (राज.)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि–

1. शर्मा,प्रज्ञा : महिला विकास और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.
2. द्विवेदी, रमेश प्रसाद : महिला सशक्तिकरण चिन्तन एवं सरोकार, शान्ति प्रकाशन, अहमदाबाद 2013.

3. अंसारी, नियाज : महिला सशक्तिकरण, वादे और क्रियान्वयन पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2002
4. कुमार, मनीष : महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशा, मधुर बुक्स, दिल्ली, 2008
5. शेठ, प्रवीण : वुमन एम्पॉवरमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, कर्णावती पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1998
6. शर्मा, बी, एम : रुरल लीडरशिप इन ए वेलफेर सोसाइटी, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1994
7. गाँधी, एम. के. : वीमन एण्ड सोशल इनजस्टिस, नव जीवन, 1958
8. अंसारी, एल.ए. : महिला व मानवाधिकार, ज्योती प्रकाशन जयपुर, 2010
9. सिंह, वी. एन एवं सिहं, जनमेजय :आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2011
10. मोदी, अनीता : महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, वाइकिंग बुक्स, जयपुर (2011)
11. शर्मा, सोनी : महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार प्रकाशन, जयपुर, 2005
12. व्यास, आशुतोष : महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2017
13. गुप्ता, कमलेश कुमार : महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2005.
14. verma, sudhir : woman's Struggle for Political Space, Rawat publication, Jaipur 1997
15. international journal of scientific & Engineering Research volume, 9, Issue 12, Dec-2018 ISSN 2229-5518

Women empowerment related website

1. UN Women Blog United Nations Entity for Gender Equality Empowerment of woman-
2. Blog Her / Economic Empowerment for All Woman
3. Women in the world
4. The voice of world
5. The Voice of Women
6. NCRI Women Committee / Women are force for change